देता है जो उसके क्रय प्रबन्धक को कमीशन देने की पेशकश करते हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि यह निगम इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का 50 प्रतिशत हिस्सा ही उत्पादन कर रही है ;

(ङ) क्या उक्त अनियमितताओं की वजह से निगम के बन्द होने की सम्भावना है ; और

(च) यदि हां, तो सरकार इस निगम को बन्द न होने देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) क्रयादेशों के निष्पादन में यदा-कदा विलम्ब हो जाता है ।

(ग) से (ङ) जी नहीं ।

(च) सरकार ने उपलब्धियों हेतु कठोर लक्ष्य निर्धारित करते हुए निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है । हाल ही में, निगम के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की गई है और उन्हें अनावश्यक ऊपरी खर्चों में कटौती करने, उत्पादन में बढ़ोत्तरी, बेहतर वस्तुसूची प्रबन्धन, और उपभोक्ता क्षेत्र से बकाया राशियों की वसूली एवं क्रयादेशों एवं परियोजनाओं का समनिष्ठ कार्यान्वयन जैसे उपचारी उपाय करने को कहा गया है ।

Shortage of L.P.G. in Goa

1376. SHRI JOHN F. FERNANDES : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether Government are aware of acute shortage of L.P.G. in Goa ;

(b) if so, what are the reasons therefor ; and

(c) whether adequate arrangements will be made so that this shortage is met at least during the ensuing 'Ganesh Festival' in the last week of this month ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. S. GURUPADASWAMY) : (a) to (c) A temporary shortage in the supply of LPG refills was reported recently in Goa on account of overall shortfall in the bulk availability of LPG, apart from transportation problems. The situation has since improved and supplies of LPG to Goa have been stepped up.

सातवीं योजना अवधि के दौरान रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की संख्या

1377. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सातवीं पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ के समय रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी थी और साथ ही उक्त योजना अवधि के अन्तिम वर्ष में ऐसी रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी थी ;

(ख) बैंकों तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा ऐसी प्रत्येक रुग्ण इकाई को ऋण स्वरूप दी गई धनराशि में से 31 जुलाई, 1990 को प्रत्येक इकाई पर बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) औद्योगिक इकाइयों की रुग्णता की वार्षिक औसत दर क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने कथित रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए कोई योजना बनाई है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम स्वरूप लाभान्वित होने वाली इकाइयों की संख्या कितनी है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) :(क) और (ख) देश में रूग्ण औद्योगिक इकाइयों संबंधी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किये जा रहे हैं और नवीनतम आंकड़े जून, 1988 तक उपलब्ध हैं । रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की संख्या और दिसम्बर 1985 से जून, 1988 तक बकाया राशि के संबंध में वर्षवार आंकड़े अनुपत्र में दिए गए हैं। [देखिए परिशिष्ट 155, अनुपत्र संख्या 45] सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बीच चल रहे व्यवहारों और पद्धतियों के अनुसार और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानून के उपबन्धों के अनुरूप प्रत्येक रूग्ण एककों की बकाया राशि के संबंध में सूचना प्रकट नहीं की जाती ।

(ग) बड़ी मझौली और लघु औद्योगिक इकाइयों में रूग्णता की औसत दर अनुबंध के कालम से सं. (X) में दर्शायी गयी है । आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार के अनेक कारण देश में औद्योगिक रूग्णता के लिए उत्तरदायी हैं । इनमें से कुछ मुख्य कारण यह हैं—दोषपूर्ण परियोजना का आयोजना, प्रबंधात्मक कमियां अकुशल वित्तीय नियंत्रण, संसाधनों का विविधीकरण, अनुसंधान तथा विकास पर पर्याप्त ध्यान न देना, प्रौद्योगिक और मशीनरी क पुरानापन, खराब औद्योगिक सम्बन्ध, बाजार मांग में परिवर्तन, कच्चे माल तथा अन्य निविष्टियों की अधिक लागत तथा कमी एवं अवस्थापना सम्बन्धी बाधाएं ।

(घ) रूग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुनरूत्थान करने के लिए भारत सरकार द्वारा सारे देश में एक समान नीति अपनाई गई है । इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्नानुसार हैं :—

1. सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात् "रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985" बनाया है । इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ. आर.) नामक एक अर्ध-न्यायिक निकाय की स्थापना की गयी है, जिसका उद्देश्य रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है । इसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है ।

2. भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रूग्णता को रोकने हेतु बैंकों की मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक कदम उठाये जा सकें ।

3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्यक्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापन पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिये गये हैं । बैंक तथा वित्तीय संस्थान रूग्ण काइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनः स्थापना पैकेज बनाते हैं ।

4. भारतीय रिजर्व बैंक को अलग से दिशानिर्देश जारी किये हैं जिनमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्य-क्षम रूग्ण इकाइयों की पुनःस्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही, राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे ।

5. लघु क्षेत्र में रूग्णता कम करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता करने के विचार से भारत सरकार ने एक "सीमांत धन योजना" शुरू की है। इस उदारीकृत योजना के अन्तर्गत पुनःस्थापना हेतु रूग्ण लघु एककों को उपलब्ध प्रति एकक साहयता की अधिकतम राशि को 20,000/– रु. से बढ़ाकर 50,000/– रु. कर दिया गया है ।

6. कमजोर एककों के लिए एक उत्पाद राहत योजना की भी घोषणा की गयी । यह योजना किसी भी एक पर लागू होगी जिसमें किसी भी पिछले पांच लेखा वर्षों में अधिकतम निवल मूल्य 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक संचित हानियों द्वारा कम हुआ है । उक्त एकक का पुनर्स्थापना, आधुनिकीकरण अथवा दिशा तरण पैकेज निर्दिष्ट

वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत होना चाहिए । पात्र एकक ब्याज मुक्त ऋण पाने के हकदार होंगे जिसके लिए राहत अवधि 3 वर्ष होगी और इसे 7 वर्षों के भीतर अदा करना होगा जो इस योजना के स्वीकृत होने के बाद 3 वर्षों के लिए इसके वास्तविक उत्पाद भुगतान का 50 प्रतिशत होगा । दिय गये ऐसे "उत्पाद ऋणों" की कुल राशि पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण/दिशांतरण की कुल लागत से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

7. एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की जा रही है जो अत्यंत लघु और लघु उद्योगों के लिए एपेक्स बैंक के रूप में कार्य करेगा । इस बैंक की प्राधिकृत पूंजी 250 करोड़ रु० होगी इसे आई डी बी आई द्वारा दिया जायेगा ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि जून, 1988 के अंत में 234 गैर लघु औद्योगिक रुग्ण इकाइयों और 8437 लघु औद्योगिक रुग्ण इकाइयों को उपचार कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है ।

एल पी जी कनेक्शनों का दिया जाना

1378. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक दिए गए एल. पी. जी. कनेक्शनों की कुल संख्या कितनी है और वर्ष 1990-91 में राज्यवार कितने नए एल.पी.जी. कनेक्शन दिए जाने का विचार है ; और

(ख) इस संबंध में सरकार के विचाराधीन आवेदनों की संख्या कितनी है और इन्हें कब तक कनेक्शन दे दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एस० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) 1 फरवरी, 1990 तक देश में करीब 161.06 लाख एल.पी.जी. उपभोक्ता थे जिसका राज्यवार विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है । **(नीचे देखिए)** एल.पी.जी. की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं नए डिस्ट्रीब्यूटरों के आरम्भ होने पर और डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां प्रतीक्षा सूची को ध्यान में रखते हुए, ऐसा प्रस्ताव किया गया है कि वर्ष 1990-91 के दौरान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 10 लाख नए एल.पी.जी. कनेक्शन दिए जायेंगे ।

(ख) 1 फरवरी, 1990 को करीब 54.67 लाख व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां पंजीकृत प्रतीक्षा सूची में थे । इस प्रतीक्षा सूची को निपटाने में लगने वाले समय की सीमा बताना सम्भव नहीं है ।

विवरण

(आंकड़े लाख में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एल.पी.जी. उपभोक्ताओं की संख्या (1-2-1990 को)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	12.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.08
3.	असम	2.29